न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 218/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

रणछाराम बनाम देराज वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील :— श्री पवन धारीवाल

विप्रार्थीगण वकील :—

निर्णय दिनांक – **15.07.17**

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत –2017 कैम्प सेड़वा मे पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा बामड़ला तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 921/734 रकबा 39.10 बीघा स्थित है। प्रार्थी के खेत पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा बामड़ला तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 921/734 रकबा 39.10 बीघा भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करने हेतु भू अभिलेख निरिक्षक बामड़ला को 500/– रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट सेड़वा मे दिनांक 15.07.2017 सुनाया गया ।

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी,चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक / भू.अ. / 2017 / 1834   दिनांकः— 24/7/17

प्रेषित : भू— अभिलेख निरीक्षक
बामड़ला

प्रार्थीः—
1.रणछाराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल निवासी बामड़ला, तहसील सेड़वा।

विप्रार्थीगण :—
1.देराज पुत्र मोती 2.मगा 3.रायन्द पि. भैरा 4.आदू पुत्र रावता 5.रूखा पुत्र अचला जाति जाट 6.उदा पुत्र मेरामा 7.जगमाल पुत्र जोधा 8.तुलसा पुत्र हरचन्द 9.चुतरा पुत्र रायचन्द जाति विश्नोई, 10.मोटा पुत्र रतना जाति मेघवाल निवासी बामड़ला, तहसील सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 218/2017   दिनांक : 15-07-2017

आदेश

उपरोक्त प्रकरण में आपको सरहद मौजा बामड़ला तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 921 / 734 रकबा 39.10 बीघा सरहद भूमि की नेखम पेमाईश जरिये पत्थरगढी करने हेतु 500 / — कमीश्नर फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनो पक्षो को विधि सम्मत नोटिस के जरीये सूचित कर यदि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिर्वतन किये बिना पेमाईश कर नेख्मबन्दी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्य पेश करे । मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

क्रमांक / भू.अ. / 2017 / 1835 to 39   दिनॉकः— 24/7/17

प्रतिलिपिः—

1 तहसीलदार सेड़वा
2 पटवार हल्का बामड़ला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकोर्ड उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3 प्रार्थी रणछाराम
4 विप्रार्थीगण देराज वगैरा
5 थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन / बीजराड़ / सेड़वा / धोरीमन्ना / बाखासर

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन